

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गोण्डा दिनांक 13.01.2021

शांतिभंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही—

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलों में शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर जनपद के विभिन्न थानों से कुल-17 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा-151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही—:

01. थाना इटियाथोक द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. रामतेज उर्फ कल्लू पुत्र भवानी प्रसाद नि० जोकाही थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-14/21, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

02. थाना कौड़िया द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. देशराज पुत्र हृदयराज नि० शम्भूपुरवा थाना कौड़िया जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-10/21, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

03. थाना नवाबगंज द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. राजेश चौहान पुत्र स्व० सुरेन्द्र चौहान नि० छतौनी थाना छावनी जनपद बस्ती के कब्जे से 21 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-17/21, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

04. थाना वजीरगंज द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. संजय पुत्र बब्बन नि० चहरिया थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-21/21, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

05. थाना को० देहात द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. मिथिलेश पत्नी स्व० पवन कुमार नि० टेढियापुर थाना को० देहात जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-23/21, 02. संगी पत्नी बिफई नि० टेढियापुर थाना को० देहात जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-24/21, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

06. थाना को० नगर द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. वीरेन्द्र सोनकर पुत्र रामदेव सोनकर नि० विशुनपुरवा मौजा दत्तनगर विशेष थाना को० नगर जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-35/21, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

07. थाना करनैलगंज द्वारा की गयी कार्यवाही-

01. मुन्ना पुत्र मंगरे नि० मलौना गोड़ियन पुरवा थाना को० करनैलगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-12/21, 02. कन्नू पुत्र राम मनोहर नि० मलौना गोड़ियन पुरवा थाना को० करनैलगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-13/21, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

08. थाना कटराबाजार द्वारा की गयी कार्यवाही-

01. नानबाबू पुत्र श्रीराम नि० ग्राम अहिरन पुरवा मौजा गंडाही थाना कटराबाजार जनपद गोण्डा के कब्जे से 38 ली० अवैध कच्ची शराब, 500 ग्राम यूरिया व 250 ग्राम नौसादर बरामद कर मु०अ०सं०-15/2021, धारा 60/60(2) आबकारी अधि०, 272 भादवि के तहत अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

सराहनीय प्रेस नोट मीडिया सेल जनपद गोण्डा दिनांक 13.01.2021

25,000 /- का इनामिया गैंगेस्टर, अवैध तमंचे के साथ गिरफ्तार-

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. मो० उस्मान उर्फ करिया पुत्र मो० शमीम उर्फ जम्बो नि० ग्राम पाण्डेचौरा थाना करनैलगंज जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु०अ०सं०-14/21, धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना करनैलगंज जनपद गोण्डा।

अभियुक्त का अपराधिक इतिहास-

01. मु०अ०सं०-470/18, धारा 8/20 एन०डी०पी०एस० एक्ट थाना को० करनैलगंज जनपद गोण्डा।
02. मु०अ०सं०-130/19, धारा 8/20 एन०डी०पी०एस० एक्ट थाना को० करनैलगंज जनपद गोण्डा।
03. मु०अ०सं०-55/20, धारा 8/21 एन०डी०पी०एस० एक्ट थाना को० करनैलगंज जनपद गोण्डा।
04. मु०अ०सं०-172/20, धारा 457.380.411 भादवि थाना परसपुर जनपद गोण्डा।
05. मु०अ०सं०-174/20, धारा 401 भादवि थाना परसपुर जनपद गोण्डा।
06. मु०अ०सं०-175/20, धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना परसपुर जनपद गोण्डा।
07. मु०अ०सं०-176/20, धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना परसपुर जनपद गोण्डा।
08. मु०अ०सं०-287/20, धारा 3(1) यू०पी० गैंगेस्टर एक्ट थाना परसपुर जनपद गोण्डा।

बरामदगी-

01. 01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर मय 01 अदद जिन्दा कारतूस।

संक्षिप्त विवरण-

जनपद गोण्डा मे अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ चलाये जा रहे अभियान मे वांछित/पुरस्कार घोषित अपराधियों की शीघ्र गिरफ्तारी करने के निर्देश पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री शैलेश कुमार पाण्डेय ने जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षो को दिये थे। जिसके क्रम में

थाना करनैलगंज को गैंगेस्टर एक्ट में वांछित/इनामिया अभियुक्त को गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता प्राप्त हुई।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में दिनांक 12/13.01.2021की रात्रि थाना को करनैलगंज पुलिस रात्रिगस्त/देखभाल क्षेत्र में खाना थी कि मुखबिर खास की सूचना पर उक्त अभियुक्त को रेलवे स्टेशन करनैलगंज के पास से गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 01 अदद अवैध तमंचा व 01 अदद जिन्दा कारतूस बरामद किया गया। उक्त अभियुक्त मु0अ0सं0-287/20, धारा 3(1) यू0पी0 गैंगेस्टर एक्ट थाना परसपुर में वांछित चल रहा था जिसकी गिरफ्तारी हेतु पुलिस अधीक्षक गोण्डा ने 25,000/- का इनाम घोषित किया था। गिरफ्तार अभियुक्त को माननीय न्यायालय खाना कर दिया गया।

गिरफ्तार कर्ता टीम-

01. प्रभारी निरीक्षक करनैलगंज संतोष कुमार सिंह।
02. उ0नि0 शिवशरण गौड़।
03. हेड का0 अबरार खॉ।
04. का0 चरण सिंह।
05. का0 आशीष कुमार।